

112/ निलाम पत्र पदाधिकारी का न्यायालय, सरायकेला

7

Close  
29/4/2028

आदेश पत्र पदाधिकारी का न्यायालय, सरायकेला  
उम्मा

बनाम  
श्री कंकण साहू 5/0 नरेंद्रनाथ साहू

आदेश फलक

आदेश पत्र तारीख..... से.....

जिला- सरायकेला-खरसावाँ

संख्या :- 38/CB/11-12

केस के प्रकार :- बैक नक़द

निलाम पत्र :- 54,276 = 556

आदेश की क्रम  
सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की हुई  
कारवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित

अधियाची पदाधिकारी शाखा-पदाधिकारी  
कंकण साहू - उम्मा द्वारा दायर अधि-

याचना देखा। लोक मांग अधिनियम के धारा-5 के अन्तर्गत

देनदार श्री कंकण साहू

पिता- नरेंद्रनाथ साहू

पता- ग्राम- सिराई

पत्रालय- श्री उम्मा थाना राजगढ़

जिला-सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध रकम 54,276 = 556

(पंजीयन दायर दोषी किटार) वसुली हेतु अधियाचना

किए हैं।

देनदार को लोक मांग अधिनियम की धारा-7

के अन्तर्गत सूचना निर्गत करें एवं पंजी X में दर्ज करें।

दिनांक.....

को अभिलेख प्रस्तुत करें।

18/8/11

निलाम पत्र पदाधिकारी,  
सरायकेला

अधिकांशी पदाधिकारी सह शारदा प्रबंधक केवरा  
वैंक पुमंग के Ref. Can / tumung / 2022-23/51,  
दिनांक 30/3/2023 के द्वारा देनदार के साथ  
समझौता के तहत लोन बंद होने की सूचना देते  
हुरा बाद को बंद करने का अनुरोध किया गया है  
अतः बाद से अधिलेख की कारवाई बंद की जाती है

29/4/23  
नीलम पत्र पदाधिकारी  
सारा नं. 1